समाहरणालय, दरभंगा
(जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय)
–: आदेश :–

कब्रिस्तान घेराबन्दी योजना के अन्तर्गत इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक–152 / अ0स0क0, दिनांक–04.03.2017 द्वारा कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रणस संगठन, कार्य प्रमण्डल–1, दरभंगा को कुल–5 (पॉच) योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए गृह विभाग के पत्रांक–9811 दिनांक–07.11.2012 एवं योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के संकल्प–4511 दिनांक–09.11.2012 के निदेश के आलोक में कार्यान्वयन का निदेश दिया गया है।

कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रणस संगठन, कार्य प्रमण्डल–1, दरभंगा के पत्रांक–317 दिनांक–04.03.2017 द्वारा सूचित किया गया है कि यदि योजना का कार्यान्वयन निविदा के माध्यम से किया जाता है तो वित्तीय वर्ष–2016–17 में प्राप्त आवंटन की शेष राशि 42.00 (बेयालिस) लाख रूपया का व्यय नहीं किया जा सकता है। कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रशासनिक स्वीकृत योजना का कार्यान्वयन विभागीय तौर पर कराने की अनुमति चाही है एवं पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–5255 (S), दिनांक–23.06.2014 की प्रति जो सरकार के सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–2436 दिनांक–26.06.2014 द्वारा प्रसारित है, की प्रति उपलब्ध करयी गई है।

पथ निर्माण विभाग की उक्त संकल्प की कंडिका–02 में उल्लेख है कि " **15.00 (पन्द्रह) लाख रूपये से से कम राशि की योजनाऐं जिनका कार्यान्वयन योजना एवं विकास विभाग के अधीन गठित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा किया जा रहा है, को विभागीय रूप से भी कराया जा सकता है। विभागीय स्तर पर कार्य कराने हेतु सामग्रियों की आपूर्ति स्थानीय स्तर पर कोटेशन के माध्यम से तथा मजदूरी का भुगतान उपस्थिति नामावली (मास्टर रौल Form No-21) के माध्यम से किया जाएगा "।**

योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–4511 दिनांक–09.11.2012 तथा प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–9811 दिनांक–07.11.2012 से प्राप्त निदेश के आलोक में कब्रिस्तान घेराबन्दी योजना का कार्यान्यवन स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल के माध्यम से कराया जाना है।

आदेश ज्ञापांक–152 दिनांक–04.03.2017 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृत पॉचों योजना की प्राक्कलित राशि 15.00 (पन्द्रह) लाख रूपये से कम है। फलस्वरूप कार्यपालक अभियंता से प्राप्त अनुरोध एवं योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–2436 दिनांक–26.06.2014 के आलोक में इस योजना का कार्यान्वयन विभागीय तौर पर कराने की अनुमति प्रदान की जाती है। शेष शर्तो यथावत् रहेंगी।

ह0/–
जिला पदाधिकारी,
दरभंगा।

ज्ञापांक–164 / अ0स0क0, दिनांक 2/3/17

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल–1, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी, दरभंगा सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 प्रबन्धक, समाहरणालय, दरभंगा को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु दी जाती है।

जिला पदाधिकारी,
दरभंगा।

Msdp aadesh